

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समिति गठित किया गया। जिसके संयोजक एवं सदस्य निम्नानुसार हैं।

संयोजक

श्रीमती निवेदिता मुखर्जी

(सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र)

सदस्यगण

1) श्री चन्द्र उदय दास मानिकपुरी

(सहायक प्राध्यापक गणित)

2) डा. (श्रीमती) आलोक निवारी

सहायक प्राध्यापक हिन्दी

P. Bansal

Principal  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Bemetara

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण समिति ने विषय "महिलाएं एवं अपराध" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें महा के छात्र - छात्राये उपस्थित हुए।

महिलाएं परिवार की मुख्य धुरी हैं परन्तु हम देखते हैं कि उसी परिवार से ही उनके ऊपर अपराधिक प्रकरण जुड़ने की शुक्यात होती है जो आगे गाकर समाज, समुदाय, देश एवं राष्ट्रव्यापी प्रकरण तक भी पहुँच जाता है।

इस परिचर्चा के मुख्य बक्तों द्वारा बहुत से सुन्दर ढंग से विषय को रखा। महिलाओं पर अत्याचार कोई नई समस्या नहीं है एवं यह समस्या निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग सभी में द्यतित है। नशों में आपा रवोना, ईर्ष्या, शक की वजह से चोट पहुँचाना, बलात्कार। दहेज हत्या। भ्रुणहत्या अपहरण, नाबालिक यौन हत्या, अनैतिक देह व्यापार, नारी उत्पीड़न, छोड़छाड़ प्रमुख महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की चर्चा हुई।

विशेष रूप से चर्चा में बताया गया कि अपने प्रति होने वाले अपराधों को सहन न करे सहन करना ही अपराध की निरन्तरता को बढ़ाने में सहायक बन जाते हैं।

संयोजक श्री पद्मकुंजर  
श्रीमती निवेदिता मुखर्जी

सदस्य

P. J. Kumar  
Principal  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Bemetara



## “ महिला एवं सर्वैधानिक प्रावधान ”

श्रीमान्शीय नवीन महाविद्यालय बेरला इ।रा।  
महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण  
समिति के द्वारा दिनांक 03/08/2015 दिन  
सोमवार को “ महिला एवं सर्वैधानिक प्रावधान ”  
विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया  
है जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राये  
आस्थित हुए।

चर्चा के विषय में महिलाओं  
को प्रदत्त अधिनियमों एवं उनके बिसे बनाये गये  
अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति  
सोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों  
को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है, जिन्हे  
कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार होना  
चाहिए लेकिन उरबा जा रहा है इसके बावजूद  
भी उनके स्थितियों में सुधार नहीं हो  
पा रहा है, जहाँ परेल्ड हिंसा की बात  
होये या इहेज प्रताड़ना की इन सभी हिंसा  
को रोकने के लिए पर्याप्त कानून बना है  
लेकिन स्थितियों में सुधार नहीं हो पाया।

स्वतंत्रता के पश्चात से  
आज की वर्तमान स्थिति तक विभिन्न अधिन-  
नियम, विवाह विन्देस व न्याय अधिनियम,  
गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे  
प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक  
स्थिति में पर्याप्त अन्तर आया है, फिर भी  
बहुत सी कमियाँ हैं, जिसके वजह से  
इन कानूनों का लाभ महिलाएँ नहीं उठा  
पाती।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई -

- 1) पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों  
का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अधिकांश

मामले में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराये जाते हैं।  
चाहे वह पारिवारिक दबाव है या सामाजिक दबाव  
जिससे चलते बहुत सी बर्तनये परिवार की चार  
दिवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं।

- ① महिलाओं के उत्थान के लिए पर्याप्त कानून एवं  
अधिनियम हैं, किन्तु लोगो की विशेषकर महिलाओं  
की कानूनी एवं अधिकारी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।  
अतः इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून और  
सरकार के साथ समाज के भी अपनी उचित  
भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।

वैत पस्थिका के मुख्य कर्ता  
श्री मति इश्वरी सूर्यवंशी द्वारा बहुत सुन्दर दंग ले  
विषय को रखा।

विशेष रूप से चर्चा में पूरे  
महिलाओं के सुरक्षा हेतु बनाये गये अधिनियम  
एवं कानूनों पर ज्ञान हुई जिससे सरकार एवं  
समाज दोनों की सहभागिता अति आवश्यक है  
तथा महिलाओं को अपने हितों की रक्षा करना  
तथा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना सामाजिक  
एवं संवैधानिक तरीकों से सीखनी चाहिए।

संयोजक  
श्री मति निकेतिका सुरवर्मा  
(असहाय प्राध्या. समाजशास्त्र)

सहायक

P. J. J. J.  
प्रचार

Principal  
Govt. Naveen College  
Berta, Dist. Bemetara





# ( लैंगिक उत्पीड़न )

Date: \_\_\_\_\_

Page: \_\_\_\_\_

## “ दारेलु हिंसा ”

शास. नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न समिति की अध्यक्षता में “ महिला एवं दारेलु हिंसा ” विषय पर दिनांक 20/09/2020 दिन मंगलवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राये उपस्थित हुए।

परिचर्चा के विषय में मुख्य वक्ता श्री मति ममता ठाकुर ने बताया कि परिवारिक समस्याओं में दारेलु हिंसा वर्तमान समाज की प्रमुख समस्या है। यद्यपि हिंसा दारेलु हो या अन्य हिंसा हिंसा होती है। दारेलु हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परन्तु प्रायः पारिवारिक हिंसा का संबंध महिलाओं के प्रति हिंसामुक्त व्यवहार से है।

भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत “ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ” प्रतिवर्ष देश में अपराध संबंधी आँकड़ों को प्रकाशित करता है। इस संगठन द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया में स्त्रियों के प्रति अपराधों की सूचि दी गई जिसमें मुख्यतः लालाचार, अपहरण, डहेज प्रसङ्गना, देहदाड, यौन शोषण लड़कियों का आयात, अनीतिक व्यापार, नारी का अश्लील प्रदर्शन, विधवाओं पर अत्याचार नारी हत्या, श्रुण हत्या वत्थादि है।

पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुरुष अपनी प्रतिष्ठा के शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित करने के लिये स्त्रियों पर अत्याचार करता है। स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता होने के कारण उसे प्रति के अत्याचार एवं दुर्व्यवहार सबने



पढ़ने हैं देश में व्याप्त बाल-विवाह, पदोपथा, दुहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव जैसे कुप्रथाओं ने महिला हिंसा को बढ़ाया है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिये सभी महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों को जानकारों से गढ़ना तथा इन संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिये सभी को प्रेरित करना हमारा हम सबसे बड़ा कर्तव्य है, तथा सभी को महिलाओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इसी जानकारी हमको समाज में फैलानी चाहिए।

विशेष रूप से चर्चा का स्थान यह था कि सरकार एवं समाज दोनों की सहभागिता घरेलू हिंसा को रोकने में अनिवार्य है। तथा महिलाओं के अपने हितों की रक्षा तथा अपनी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखना अनिवार्य है।

संयोजक  
श्री मति निवेदिता मुखर्जी  
(सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र)

P. C. Jaiswal  
Prinicipal  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Bemetara

(सदस्यगण)





## "महिलाओं की दशा व दिशा"

शासकीय नवीन महाविद्यालय के लैंगिक उत्पीड़न समिति के द्वारा 4.11.2017 को समाजशास्त्र के महा. प्राध्यापक श्रीमती निवेदिता मुरवजी ने "महिलाओं की दशा व दिशा" विषय पर चर्चा की।

गर्व में कन्या करे पुकार मुझे भी हो जीने का अधिकार।

मा चाहिये, पत्नी चाहिये, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिये।

विषय की शुरुआत बहुत ही अच्छे से किया गया महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में वैदिक युग में न केवल अच्छी थी अपितु अत्यंत उन्नत भी

उत्तर वैदिक काल से महिलाओं के लिए समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। वैदिक युग की स्थिति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी धर्म सूत्रों में बाल विवाहों का निर्दिश दिया गया। स्त्रीयुग में उनकी स्थिति और भी गिर गयी उनका जो सम्मान इस युग में होता था केवल मा के रूप में स्तित्व तथा रत्न की शुद्धता बनाये रखने के लिये रिश्रों के संबंधों में नियम और भी कठोर बना दिया विवाह की दृष्टे दृष्टे 8-9 वर्ष रह गयीं

बहुत लंबे समय तक स्त्रियां घर की चारपाई अवलंबित रहने वाली रही हैं आम लोगों की नजर में स्त्रियों की स्थिति की पहचान एक अधीनस्थ प्रतिस्थिति के रूप में की जाती थी।

पश्चात् संस्कृति से हमारे संबंध बढ़ने के साथ-साथ भारतीय महिलाओं में एक नयी चेतना का संचार हुआ। उनमें संपर्क प्रगतिशील देशों के नारी आन्दोलनों आदि के साथ सहज ही हो सका।

छापाखाना, यतायात और संचार के साथ शिक्षा का विस्तार प्रारंभ हुआ औद्योगिकीकरण और नगरीय संस्कृति के साथ-साथ स्त्रियों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ गये, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ अनेक परम्परागत नियंत्रण अपने आप डूर होगयीं।

शिक्षा का विस्तार, सह स्त्री शिक्षा पढ़ी-पढ़ाई का क्रमिक अना नारी और-पुरुषों का एक साथ नौकरी करने की सविधा आदि ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप

प्रेमविवाहों का विस्तार हुआ सहयोग एवं समानता की भावना पनपने लगे और पुरुष स्त्री को दासी न समझकर साथी समझने लगे। स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने की अनुकूल परिस्थिति बनी। स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में कानून की तरफ से भी काफी बढ़ावा मिला है।

व्याज विवाह निरोधक अधिनियम 1956 को पास करके व्याज विवाहों को रोकने का प्रयत्न किया गया। उसी प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को पास करके स्त्रियों की अनेक विवाहों संबंधी नियोज्यताओं दूर हुई।

1956 स्त्रियों को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने में एवं बिना किसी बंधन के पुरुषों के समान समस्त अधिकार मिला।

इन सब कानूनों तथा सुरक्षा एवं सुविचारों के कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति उन्नत करने में पर्याप्त सरलता हुई।

संयोजक  
श्रीमती निवेदिता मुखर्जी

P. J. ...  
Principal  
Govt. Naveen College  
Beria, Dist. Bemetara



प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला के लौंगिक उत्पीड़ समिति के द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए दिनांक 19.11.2018 दिन सोमवार को कार्यक्रम हुआ जिसमें चित्रकला / भाषण / कविता पाठ / विचार-ध्वजा स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं द्वारा किया गया।

मराठा शासित राज्य की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की राज्यक्रान्ति में 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई।

शुद्ध लड़ी मर्दानी व तो कांशी-वाली शनी की नारे कार्यक्रम स्थल पर बूज उठे।

संयोजक  
Mukhyan

27/11/21

P. G. J. J.  
Principal  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Barnatara





## 'लैंगिक असमानता'

नर और नारी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पढ़ने और सुनने में यह सूक्ति लसल्ली देने वाली है। स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। किंतु समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव की लकीर खनी हुई है। महिलाओं और पुरुषों की असमानता के पीछे क्वायद यह लगाई गई कि आर्थिक निर्भरता ही इसका कारण है। आज इन्की लकी लकी में जब महिलाओं आत्मनिर्भर है और पुरुषों ले कंधा ले कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं तब भी लक्षित निराशाजनक है। महिलाएँ घर-परिवार और कार्यस्थल पर दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। किन्तु न केवल घर में बल्कि कार्यस्थल पर भी पुरुषों के द्वारा ही नहीं महिलाओं द्वारा भी असमान व्यवहार किया जाना यह दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता अभी भी समाज में नहीं बदली है। उच्च अधिकारी महिला <sup>पुरुष</sup> द्वारा पुरुषों से अलग व्यवहार और महिलाओं से अलग व्यवहार कई बार महिलाओं के मनोबल को गिराने वाला प्रतीत होता है। आज हमारे समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि एक महिला को मनुष्य समझे और यह माने कि समाज के विकास में जितना योगदान <sup>पुरुष</sup> पुरुष का है, उतना ही महिला है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से ही इसकी शुद्धात् कटे मिलने महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान से वंचित न होने पड़े। महिलाओं को अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने स्वयं को सामने आना होगा जिससे वे समाज में उचित ध्यान प्राप्त करके अपने स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा कर सकें।

Atth

डॉ. आस्था तिवारी

P. J. J. J.  
श. त. त. त.  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Bametara

स्वच्छता  
लैंगिक उत्पीड़न समिति 2016-17

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला के सम्बन्धित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/09/2016 दिन मंगलवार को लैंगिक उत्पीड़न समिति द्वारा महिला एवं धरेलू विभाग विषयपर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें इस महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री मति ममता ठाकुर (वाणिज्य) द्वारा विचार रत्न कार्यक्रम आप सभी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।

संयोजक  
श्री मति विवेदिता मुखर्जी  
सहा. प्राध्या. स्वच्छता  
सदस्य

- 1) श्री चंद्रकान्त मणि ठाकुरी  
(सहा. प्राध्या. गणित)
- 2) डॉ. श्री मति छाया विवारी  
(सहा. प्राध्या. हिन्दी)

प्रचारक  
P. Gaur  
प्रचारक  
Principal  
Govt. Naveen College  
Berla, Dist. Bemetara



शा. नवीन महाविद्यालय बेरला


जेमेलरा पुलिस मिशन e-रक्षा


साइबर अपराध, बैंक धोखाप्यडी, चिटफंड धोखाधरी

जागरुकता अभियान

कार्यक्रम दिनांक 14 Sep. 2016.

अधिति

① शाबिका वैद्य D.S.P. 

② अजय सिंह T.I.   
14/9/16.

③ शशांक सिंह S.I.

Jyoti  
Jameer  
Inelurkumar





शा. नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

POCSO ACT

व

शिशु शिकार अपराध (POCSO) को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम

कार्यक्रम दिनांक 10-09-2017

वक्ता श्री श्री धुवे (पुलिस विभाग)

Levni  
Mvema  
Jyoti

शिशु शिकार अपराध (POCSO) को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम दिनांक 10-09-2017

(संभव) श्री श्री धुवे (पुलिस विभाग)





कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

महाविद्यालय का ई मेल : [collegeberla2008@gmail.com](mailto:collegeberla2008@gmail.com)

वेब साइट : [www.govtcollegeberla.in](http://www.govtcollegeberla.in) फोन नं. 7825297300, 07825287744

बेरला दिनांक 20/10/2015

## सूचना

महाविद्यालयीन समस्त छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि भारत सरकार के संयुक्त पहल से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में Gender Champions का चुनाव किया जाना है जिसकी योग्यता निम्नानुसार है –

1. ऐसे छात्र/छात्राएँ जिनकी आयु 16 वर्ष से 24 वर्ष के बीच हो ।
2. महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो ।
3. 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
4. बोलने, लिखने और प्रस्तुतिकरण की क्षमता होनी चाहिए ।
5. नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ।
6. सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की समझ होनी चाहिए ।

इच्छुक छात्र-छात्राएँ डॉ. श्रीमती आस्था तिवारी से संपर्क करें ।

*P. Baur*

(डॉ. प्रेमलता गौरे)  
PRINCIPAL

Govt. Nevean College  
Berla, Distt.-Bemetara (C.G.)

ANNEXURE - 1

School/College/University Name

School/College/University logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) : Divya

2. Sex (Male/Female) : Female

3. Date of Birth (DD/MM/YY) : 20.06.96

Attach valid proof of Date of Birth



4. Parent/Guardian's Name : Ms. Mahendadi KUMAR Lakshmi

5. Residential Address : Vill. & Post - Anandapur, Block - Beata  
Dist. - Bemeturu

6. Mobile Number : 9893470658

7. Email Address

8. Community (SC/ST/General) : SC [Mahar]

9. Educational Qualifications: (Please add additional diploma any other additional qualifications, if any)

Sl. No.	Stream/ Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Name of Board/ University	Year of Passing
12th		second division 67.8%	C.B. board	2015

10. Computer Skills : yes

11. Languages Known : Hindi, C.B.



## Engagement as gender champion

क्या बिना बयो बनना चाहती हूँ मैं।  
आइए जानते हैं मुझे और मेरे Gender champion  
विचारों को।

मैं इस लिए एंगेजमेंट चैम्पियन बनना चाहती हूँ,  
क्यों कि मुझे समाज में लड़कियों के विचारों को प्रकट  
करने या उनके विचारों को सबके सामने लाने का मौका  
मिल सके। लड़कियों के अंदर किसी भी बात को लेकर  
मन में डर बना लेना जो कि ठीक नहीं है। मैं  
इस डर को खत्म करके उनके डर का सामना करने  
के लिए उनको अधिकारों को उनके अवागत खोलने  
करना चाहती हूँ।

संस्कारों का सम्मान करना जो कि हर  
व्यक्ति के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। मैं  
बोचना चाहती हूँ, वर्तमान में कुछ लोग नये विचार  
द्वारा लड़कियों या लड़कों को संस्कारों से  
मुह फेर लेते हैं। जैसे किसी का पैर छूने  
आधीनाह लेने के लिये नमस्ते करते हैं या जल  
कोई हमें कुछ सिखाते हैं तो हमें वह बात सीखनी  
चाहिए क्या पता वही सिखा हमारी जबरत बन जाये,  
यह ना खोजकर बात को या उस सिखा को लकवाय  
बोलके सिखने वाले को चुपचाक देते हैं उनका मजाक  
बनाते हैं।

मैं उनको या मैं उन सभी लड़कियों  
को हमारे संस्कारों का महत्व बताना चाहती हूँ।  
ऐसे कई लड़कियाँ हैं, जो पढ़ाई को लक्ष्य मंथती हैं।

हैं। व अन्य क्षेत्रों में भाग नहीं लेती हैं। उनको उन क्षेत्रों के लिए प्रेरित करना चाहती हैं, ताकि लड़कियाँ भी अपनी खुद की पहचान बना पायें।

लोग लड़कियों के पहचान से उनके बारे में अनेक प्रकार की विचार धाराएँ बना लेते हैं। जैसे - सुट वाली लड़कियाँ को यह सोचते हैं कि इनका संस्कार अच्छा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्स या अलग-अलग रंग-निरंग कपड़े पहनने वाली लड़कियों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है।

समाज में अच्छाइयों तो हैं पर बुराइयों भी हैं। लड़कियाँ अक्सर इसी बुराइयों के कारण आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाती हैं। समाज की बुराइयों को नजर अंदाज करके उन लड़कियों को सहज बनाना चाहती हैं कि बुराइयों तो लोगों के बीच में होती हैं। अगर उनके शोष को खत्म करना है तो हम सभी लड़कियों को स्वतंत्र रूप से निरंतर होकर उन बुराइयों को या लोगों के विचारों

हमारी जितनी खत्म जा सकता है, लड़कियाँ संवेदनशील होती हैं। इसलिए वह अपना विचार दूसरों के सामने स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाती हैं, लड़कियों को स्वतंत्र रूप से समाज के सामने अपना भाव-विचार रखने के लिए उन्हें जागरूक बनाना चाहती हैं।

मैं अगर जलवायु चलायी तो लड़कियों के हित में काम करूँगी। मेरी सही राय है कि लड़कियाँ अगर अपना अधिकार जानना चाहती हैं तो मुझे या हमें उन्हें वह अधिकार से अवगत करवाना चाहिए।

मैं अगर जलवायु चलायी तो लड़कियों के हित में काम करूँगी। मेरी सही राय है कि लड़कियाँ अगर अपना अधिकार जानना चाहती हैं तो मुझे या हमें उन्हें वह अधिकार से अवगत करवाना चाहिए।

मैं अगर जलवायु चलायी तो लड़कियों के हित में काम करूँगी। मेरी सही राय है कि लड़कियाँ अगर अपना अधिकार जानना चाहती हैं तो मुझे या हमें उन्हें वह अधिकार से अवगत करवाना चाहिए।

मैं अगर जलवायु चलायी तो लड़कियों के हित में काम करूँगी। मेरी सही राय है कि लड़कियाँ अगर अपना अधिकार जानना चाहती हैं तो मुझे या हमें उन्हें वह अधिकार से अवगत करवाना चाहिए।



ANNEXURE - 1  
School/College/University Name

School/College/University Logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) **MONIKA SAHU**

2. Sex (Male/Female) **Female**

3. Date of Birth (DDMMYY) **28.04.1996**

4. Date of valid proof of Date of Birth

5. Parents/Guardian's Name **Bhagat Ram Sahu**

6. Residential Address **Vill+Post - Dargagan  
Teh. - Dhamalga, Dist - Durg C.C.**

7. Mobile Number **8463858989**

8. Email Address

9. Educational Qualification(s) (Please add additional diploma/other additional)

Qualification (If any)	Stream/Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Rank of Board/University	Year of Passing
12th B.Sc.		81.8%	18th	2014
		70.83%	Pr. R. S. U.	2015

10. Computer Skills **No**

11. Languages Known **Hindi**

मैं अपनी भासपास के परिवेश में लड़कियों पर अनेक भ्रष्टाचार देखती हूँ। पालक उनकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। उनकी कम कम में शादी कर दी जाती है और यदि दुर्भाग्य से वो विधवा हो गयी तो उनके पुर्विवाह पर रोक लगा दिया जाता है। इनके पहेल के नाम पर अनेक घातबायें केलने पड़ते हैं और कभी कभी तो जिंदा जला दी जाती है। लड़कियों को कड़कों से हमेला पीदा ही रख्या जाता है और इन्हे कही भी सजान भ्रधनर नहीं दिया जाता है। यदि वो नौचरी या पढ़ाई के लिए गाँव से बाहर निकलना चाहती है तो उसे गाँव बाहु से बाहर कडम भी नहीं रखने देते हैं। इन्ही सब कारणों के वजह से मैं उनडे हित में काम करना चाहती हूँ। इसलिय मैं **Gender Champion** बनना चाहती हूँ।

I declare that the statements made in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that the action can be taken against me in the eventuality of the said information furnished by me being found false or incorrect.

**मोनिका**  
Signature of Applicant

ANNEXURE - 1  
School/College/University Name

School/College/University Logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) **DURGA SAHU**

2. Sex (Male/Female) **FEMALE**

3. Date of Birth (DDMMYY) **30.06.1996**

4. Date of valid proof of Date of Birth

5. Parents/Guardian's Name **SAHU NARAYAN PRASAD**

6. Residential Address **VILL - SANKARA, POST - HAJEJA  
TEH. - BERLA, DIST. - BEMETARA C.C.**

7. Mobile Number **9754344789**

8. Email Address

9. Educational Qualification(s) (Please add additional diploma/other additional)

Qualification (If any)	Stream/Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Rank of Board/University	Year of Passing
12th B.Sc.		49.6	66th	2014
		55.83	Pr. R. S. U.	2015

10. Computer Skills **NO**

11. Languages Known **HINDI**

लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं लेकिन अगर पढ़ाई के कारण यही गाँव से बाहर भेजने को बाध्य होती है तो लोगों को दूसरों खेडके सोच को देखकर पढ़ाई के क्षेत्र में बाहर भेजने से पीछे हट भजते हैं और लड़कियों वहाँ की वहाँ रह जाती है। पखार के लोग अपनी परिस्थिति को देखते हुए लड़कियों की कम उमर में शादी कर देते हैं। कई लोग खरब पीकर यामि सिपिन कर महिलाओं पर धरेख टिजा करते हैं और महिला प्राहित होते रहती है लेकिन समान और लोगो के डर से इसका विरोध नहीं कर पाती। संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार प्राप्त है लेकिन लोगो की सोच को वजह से आज भी लड़कियों भाग नहीं खड़े पा रही है। लड़कियों के हक में मैं बहुत कुछ बदलाव की सफाई रखती हूँ इसलिए मैं **Gender Champion** बनना चाहती हूँ।

I declare that the statements made in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that the action can be taken against me in the eventuality of the said information furnished by me being found false or incorrect.

**Durga**  
Signature of Applicant



शा. नवीन महाविद्यालय बेरला

ब्रेमेतरा पुलिस मिशन e-रक्षा

साइबर अपराध, बैंक धोखाधड़ी, चिटफंड धोखाधड़ी

जागरुकता अभियान

कार्यक्रम दिनांक 14 Sep. 2016.

अधिविधि

① सावित्री वैद्य D.S.P. *Savtri*

② अजय सिंह T.I. *Aj*  
14/9/16.

③ शशांक सिंह S.I.

Jyoti

Janeel

Inshukumar